

६३७-  
गजराज

पुनश्चामः -

वकील उद्यम पक्ष उपस्थित। पगावली दूर वाड के उभय  
पैदा हुई। वादी अधिवक्ता ने अकाल कराया कि पक्षमात्र  
के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रकरण (वाड/प्रतिवादी)  
आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा दूर वाड में वकील अधिवक्ता  
ने आदे। शिका पर not press अंकित किया है। अंति प्रार्थना  
पत्र 212 RT Act दावे का ही भाग होता है। इसलिए अर्ष  
प्रार्थना पत्र जो चलाये जाने का अधिवक्ता नहीं है। अतः  
प्रार्थी/अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पगावली  
निर्णय शुभ्रा होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल  
दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर  
कोटपूतली (जयपुर)